हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 01 अप्रैल, 2026

संख्या : वि0स0–विधायन–विधेयक/1-13/2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7)** जो आज दिनांक **01 अप्रैल, 2026** को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

————

2026 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026
खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 5 का संशोधन।
4. धारा 91 का संशोधन।
5. 122 का प्रतिस्थापन।
6. धारा 145 का संशोधन।

————

2026 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 2 का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इससें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (16) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(16—क) "ग्राम सभा सदस्य" से ऐसा व्यक्ति जिसने ग्राम सभा की बैठक की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जिसका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज हो या पंचायत चुनावों से संबंधित उस ग्राम सभा की मतदाता सूची में प्रविष्ट हो अभिप्रेत है।"।

3. धारा 5 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (3) में,—

(क) "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम एक चौथाई" शब्दों के स्थान पर "ग्राम सभा के सदस्यों के एक—दशमांश" शब्द रखे जाएंगे, और

(ख) "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम पांचवा भाग" शब्दों के स्थान पर "ग्राम सभा के कुल सदस्यों का बीसवां भाग या ग्राम सभा के तीस सदस्य, जो भी अधिक हो" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 91 का संशोधन.—— मूल अधिनियम की धारा 91 की उप—धारा (9) में,—

(क) खंड (क) में, "आधे" शब्दों के स्थान पर "एक तिहाई" शब्द रखे जाएंगें।

(ख) खंड (ख) में, "दो तिहाई" शब्दों के स्थान पर "आधे" शब्द रखे जाएंगें।

5. धारा 122 का प्रतिस्थापन.——मूल अधिनियम की धारा 122 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :——

''**122 निरर्हताएं.——**(1) कोई व्यक्ति पंचायत का प्राधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा,——

(क) यदि वह सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके विरूद्ध स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन अपराधों का संज्ञान लेते हुए अपराधों में उसके विरूद्ध आरोप विचरित किए हों;

(ख) यदि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो ; या

(घ) यदि वह इस अधिनियम की धारा 180 के अधीन किसी भ्रष्ट जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो";

(ङ) यदि उसने या उसके परिवार के किन्ही सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या

उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद ''परिवार का सदस्य'' से, दादा, दादी, पिता, माता, पति–पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं;

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस अधिनियम के अध्याय 10–क के अधीन निर्वाचन जब तक उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया है;

(छ) यदि उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) की धारा 129 के अधीन सद्व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है;

(ज) यदि उसे लोक सेवा से हटाया गया है या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया गया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के;

(झ) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है;

स्पष्टीकरणः––इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए यानियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंर्तगत नहीं होगा।

(ञ) यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ट) यदि, जैसा इसमें, इसके पश्चात् उपबन्धित है उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पंचायत के आदेश द्वारा किए गए किसी संकर्म या पंचायत के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है;

(ठ) यदि उसने पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया संदत्त नहीं की है या उस द्वारा देय सभा, समिति अथवा जिला परिषद् निधि की किसी प्रकार की बकाया संदत्त नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो सभा, समिति या जिला परिषद् निधि का भाग है;

(ड) यदि वह पंचायत की अभिधृति या पट्टाधृति के अधीन अभिधारी या पट्टाधारी है या पंचायत के अधीन धारित पट्टाधृति या अभिधृति की लगान की बकाया में है;

(ढ) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो;

(ण) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है;

(त) यदि उसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथाअपेक्षित कोई असत्य उद्घोषणा की हो;

(2) कोई व्यक्ति पंचायत का प्राधिकारी होने के लिए निरर्हित होगा,——

(क) यदि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो ;

(ग) यदि वह इस अधिनियम की धारा 180 के अधीन किसी भ्रष्ट जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो";

(घ) यदि उसने या उसके परिवार के किन्ही सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.——इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद ''परिवार का सदस्य'' से, दादा, दादी, पिता, माता, पति–पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस अधिनियम के अध्याय 10–क के अधीन निर्वाचन जब तक उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया है;

(च) यदि उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) की धारा 129 के अधीन सद्व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है;

(छ) यदि उसे लोक सेवा से हटाया गया है या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया गया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के;

(ज) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है;

स्पष्टीकरणः——इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए यानियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंर्तगत नहीं होगा।

(झ) यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ञ) यदि, जैसा इसमें, इसके पश्चात् उपबन्धित है उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पंचायत के आदेश द्वारा किए गए किसी संकर्म या पंचायत के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है;

(ट) यदि उसने पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया संदत्त नहीं की है या उस द्वारा देय सभा, समिति अथवा जिला परिषद् निधि की किसी प्रकार की बकाया संदत्त नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो सभा, समिति या जिला परिषद् निधि का भाग है;

(ठ) यदि वह पंचायत की अभिधृति या पट्टाधृति के अधीन अभिधारी या पट्टाधारी है या पंचायत के अधीन धारित पट्टाधृति या अभिधृति की लगान की बकाया में है;

(ड) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो;

(ढ) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है;

(ण) यदि उसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथाअपेक्षित कोई असत्य उद्घोषणा की हो;

(3) यदि कोई पूर्व पदाधिकारी, पंचायत के किसी धन या निधि या अन्य सम्पत्ति जिस में वह एक पक्षकार रहा है की हानि, दुर्विनियोजन, दुर्व्यय, दुरूपयोजन हेतु दोषी पाया जाता है या जो अवचार के या उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा हुई है जब तक कि उसके पद छोड़ने से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो, पंचायत का कोई पदाधिकारी चुने जाने के लिए निरर्हित होगा; और

(4) यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति उप–धारा (1) और (2) के अधीन की किसी निरर्हता के अधीन है या हो गया है, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा विनिश्चित किया जाएगाः–

(क) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठता है तो, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए;

(ख) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् उठता है तो उपायुक्त द्वारा।

6. धारा 145 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 145 में, उप धारा (1) के खण्ड (क) में "भारतीय न्याय सहिता, 2023" (2023 का 45) शब्दों, चिन्हों और अंकों के पश्चात् "या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन या भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 और 42 के अधीन "शब्द, चिन्ह और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य वर्तमान में चिट्टा/हेरोइन की बढ़ती समस्या से अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहा है, जिसने समुदायों में प्रवेश कर लिया है, युवाओं को संकट में डाल दिया है, परिवारों को अस्थिर किया है तथा राज्य की सामाजिक संरचना को चुनौती दी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोक कर जमीनी स्तर के लोकतन्त्र की अखण्डता की रक्षा करना है। सिंथैटिक मादक द्रव्यों की तस्करी से उत्पन्न गंभीर खतरे को पहचानते हुए यह विधेयक एक ऐतिहासिक उपबन्ध प्रस्तुत करता है कि इसके अधीन किसी भी ऐसे व्यक्ति को पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने को अयोग्य घोषित किया जाएगा, जिसके विरूद्ध स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन गंभीर आपराधों के आरोप विचारित किए गए हैं विशेष रूप से उन व्यक्तियों को लक्षित किया गया है जो चिट्टा/हेरोइन के व्यापार में संलिप्त है। यह विधेयक भूमि अतिक्रमण, वित्तीय अनियमितताओं और हितों के टकराव के मामलों में भी अधिक सख्त मानदण्ड लागू करता है। इसके अतिरिक्त कोरम की कमी के कारण

ग्राम सभा की बैठकों का बार–बार स्थगित होना पंचायतों के कार्य संचालन को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए, यह प्रस्ताव किया गया कि ग्राम सभा के कोरम की संख्या को कम किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण विकास कार्य बाधित न हों।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(अनिरूद्ध सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः 2026

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 7 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 5.
4. Amendment of section 91.
5. Substutution of section 122.
6. Amendment of section 145.

———————

BILL NO. 7 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (16), the following clause shall be inserted:—

"(16-A) "Gram Sabha member" means a person who has attained the age of 18 years on the date of Gram Sabha meeting and whose name is registered in the Parivar Register or entered in the list of voter of such Gram Sabha relating to panchayat elections;".

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) for the words "one fourth of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha", the words "one tenth of members of the Gram Sabha" shall be substituted; and

(b) in proviso, for the words "at least one fifth of the total number of families represented by one or more member of Gram Sabha", the words and sign "one twentieth or thirty Gram Sabha members, whichever is more" shall be substituted.

4. Amendment of section 91.—In section 91 of the principal Act, in sub section (9),—

(a) in clause (a), for the words, "one half", the words "one third" shall be substituted; and

(b) in clause (b), for the words "two third", the words "one half"shall be substituted.

5. Substitution of section 122.—For section 122 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"122. Disqualifications.- (1) A person shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a panchayat,—

(a) if he is under trial in a competent court which has taken cognizance and has framed the charges against him of the offences under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);

(b) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of the election to the State Legislature:

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years, if he has attained the age of 21 years;

(c) if he has been convicted of any offence involving moral turpitude, unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(d) if he has been found guilty of any corrupt practice under section 180 of this Act, unless a period of six years has elapsed since the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given;

(e) if he or any of his family member (s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years

has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

Explanation.—For the purpose of this clause the expression "family member" shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter (s);

(f) if he has been convicted of an electoral offence under Chapter X-A of this Act or under any law for the time being in force unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(g) if he has been ordered to give security for good behavior under section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023);

(h) if he has been removed from public service or disqualified for appointment in public service, except on medical grounds;

(i) if he is in the employment or service under any Panchayat or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government.

Explanation.—For the purposes of this clause the expression "service" or "employment" shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or contract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works;

(j) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969 (8 of 1970);

(k) if, save as hereinafter provided, he has directly or indirectly any share or interest in any work done by an order of a panchayat, or in any contract or employment with, or under, or by, or on behalf of, the panchayat;

(l) if he has not paid the arrears of any tax imposed by a panchayat or had not paid the arrears of any kind due from him to the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund; or has retained any amount which forms part of the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund;

(m) if, he is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under a panchayat is in arrears of rent of lease or tenancy held under the panchayat;

(n) if he has been convicted of an offence punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955); unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(o) if he is so disqualified by or under any other law made by the State Legislature; or

(p) if he has made any false declaration as required under this Act or the rules made thereunder.

(2) A person shall be disqualified for being an office bearer of a panchayat,-—

(a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of the election to the State Legislature:

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years, if he has attained the age of 21 years;

(b) if he has been convicted of any offence involving moral turpitude, unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(c) if he has been found guilty of any corrupt practice under section 180 of this Act, unless a period of six years has elapsed since the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given;

(d) if he or any of his family member (s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

Explanation.— For the purpose of this clause the expression “family member” shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter (s);

(e) if he has been convicted of an electoral offence under Chapter X-A of this Act or under any law for the time being in force unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(f) if he has been ordered to give security for good behavior under section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023);

(g) if he has been removed from public service or disqualified for appointment in public service, except on medical grounds;

(h) if he is in the employment or service under any panchayat or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government.

Explanation.—For the purposes of this clause the expression “service” or “employment” shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or contract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works;

(i) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969 (8 of 1970);

(j) if, save as hereinafter provided, he has directly or indirectly any share or interest in any work done by an order of a panchayat, or in any contract or employment with, or under, or by, or on behalf of, the panchayat;

(k) if he has not paid the arrears of any tax imposed by a panchayat or had not paid the arrears of any kind due from him to the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund; or has retained any amount which forms part of the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund;

(l) if, he is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under a panchayat is in arrears of rent of lease or tenancy held under the panchayat;

(m) if he has been convicted of an offence punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955); unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(n) if he is so disqualified by or under any other law made by the State Legislature; or

(o) if he has made any false declaration as required under this Act or the rules made thereunder.

(3) If an Ex-Office bearer is found guilty for loss, misappropriation, waste, or misapplication of any money or fund or other property of the panchayat to which he has been a party, or which has been caused by him by misconduct or gross negligence of his duties unless a period of six years has elapsed since his demitting the office, shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a panchayat.

(4) The question whether a person is or has become subject to any of the disqualifications under sub-section (1) and (2) , shall after giving an opportunity to the person concerned of being heard, be decided,**—**

(a) if such question arises during the process of an election, by an officer as may be authorised in this behalf by the State Government, in consultation with the State Election Commission; and

(b) if such question arises after the election process is over, by the Deputy Commissioner".

6. Amendment of section 145.—In section 145 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a) after the words, sign and figures "Bhartiya Nayaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) " the words, signs and figures "or under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (61 of 1985) or under section 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927, (16 of 1927) " shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State of Himachal Pradesh is presently facing an unprecedented threat from the menace of chitta/heroin, which has infiltrated communities, endangered youth, destabilised families and challenged the social fabric of the State. This Bill primarily aims to safeguard the integrity of grassroots democracy by preventing the entry of criminal elements into Panchayati Raj Institutions (PRIs). Recognising the grave threat posed by synthetic drug trafficking, the Bill introduces a landmark provision to disqualify any individual for being chosen as an office bearer of a panchayat against whom charges have been framed for serious offences under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, specifically targeting those involved in chitta/heroin

trade. It also introduces stricter disqualification criteria for land encroachment, financial irregularities, and conflict of interest. Furthermore, the frequent adjournments of Gram Sabha meetings due to lack of quorum is affecting the functioning of the panchayats. Therefore, it is proposed to reduce the quorum of Gram Sabha to ensure that vital developments are not stalled by low attendance.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(**ANIRUDH SINGH)**

Minister-in-Charge.

SHIMLA:

THE , 2026.